राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

पत्रावली संख्या प–9(4)राज/वाद/88/पार्ट जयपुर, दिनांकः– 18-02-2020

–:परिपत्र:–

विषयः– महान्यायवादी/सोलीसिटर जनरल/अतिरिक्त सोलीसिटर जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं उनके कनिष्ठ अधिवक्ताओं के फीस बिलों के भुगतान के संबंध में ।

विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के लंबित महत्वपूर्ण प्रकरणों में पैरवी हेतु महान्यायवादी/सोलीसिटर जनरल/अतिरिक्त सोलीसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सेवाऐं लिये जाने लिये राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के द्वारा विधि विभाग से सहमति/स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जातें है। उक्त प्रस्तावों पर विधि विभाग के द्वारा प्रशासनिक विभाग को सहमति/स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि देय पैरवी फीस का भुगतान प्रशासनिक विभाग के द्वारा किया जावेगा।

यह ध्यान में लाये जाने पर कि महान्यायवादी/सोलीसिटर जनरल/अतिरिक्त सोलीसिटर जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं उनके कनिष्ठ अधिवक्ताओं के फीस बिलों का भुगतान प्रशासनिक विभागों के स्तर से समयबद्ध रूप से नहीं किया जा रहा है, इस विभाग के पत्र प–9(4)राज/वाद/88/पार्ट दिनांक 24.12.2018 द्वारा महान्यायवादी/सोलीसिटर जनरल/अतिरिक्त सोलीसिटर जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं उनके कनिष्ठ अधिवक्ताओं के फीस बिलों के भुगतान के संबंध में लंबित फीस बिलों की सूची उपलब्ध कराने, त्वरित भुगतान कराने एवं भुगतान में कोई बाधा होने पर उक्त बाधा के संबंध में अवगत कराने के लिये अनुरोध किया गया था। किन्तु उक्त का कोई अपेक्षित प्रत्युत्तर प्रशासनिक विभागों के स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः पुनः समस्त प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा की जाती है कि महान्यायवादी/सोलीसिटर जनरल/अतिरिक्त सोलीसिटर जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं उनके कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लंबित फीस बिलों की सूची विधि विभाग को उपलब्ध करावें, उक्त बिलों का नियमानुसार त्वरित निस्तारण करावें एवं भुगतान में कोई बाधा होने पर उक्त बाधा के संबंध में विधि विभाग को अवगत करावें ताकि उक्त बाधा का नियमानुसार निवारण किया जा सके। साथ ही भविष्य में महान्यायवादी/सोलीसिटर जनरल/अतिरिक्त सोलीसिटर जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं उनके कनिष्ठ अधिवक्ताओं के फीस बिलों का निस्तारण प्रशासनिक विभागों के स्तर से समयबद्ध रूप से किया जावे एवं निस्तारण आदेश की प्रति विधि विभाग को संदर्भ सहित प्रेषित की जावे।

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव,विधि

पत्रावली संख्या प–9(4)राज/वाद/88/पार्ट जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव माननीय विधि मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
5. महाधिवक्ता राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव,विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव राजस्थान जयपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान।
10. समस्त जिलाधीश राजस्थान।
11. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी / सहायक विधि परामर्शी/वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि विभाग,राजस्थान जयपुर।
12. आहरण एवं वितरण अधिकारी राजकीय वादकरण विभाग जयपुर
13. प्रोग्रामर विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

18/2/2020
(जगमोहन शर्मा)
शासन विशिष्ट सचिव,
विधि (वादकरण) विभाग